राजस्व वाद GCMS नंबर 2025/498 बअनवान समाराम वगैरा बनाम दूदाराम वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|---|---|---|
| 26/05/26 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।<br>वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर प्रस्तुत वाद में वादी संख्या 01 के नाम 1.0322 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 06 के 1.5629 हैक्टर संशोधन कर इसी अनुसार प्रकरण में फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। जो प्रार्थना पत्र वकुलाय की सहमति से स्वीकार कर प्रकरण में फाईनल डिक्री जारी किये जाने बाबत वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि वादीगण द्वारा अपने उक्त वादपत्र के आधार पर ग्राम गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली में अवस्थित भूमि पुराने खसरा नंबर 92, 93, 94, 95, 96, 98, व 90 के भ0भाग से मिलान क्षैत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर 145 रकबा 3.77 हैक्टर के अधिकार अभिलेखो में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एवं प्रतिवादी संख्या 07 से 17 का नाम विलोपित करते हुये खसरा नंबर 145 मेसे 0.5778 हैक्टर का वादी संख्या–01 एवं रकबा 0.4244 हैक्टर का खातेदार वादी संख्या–02 को एवं 0.0471 हैक्टर का खातेदार प्रतिवादी संख्या–06 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत घोषित करते हुये प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व 07 लगाय 17 के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की मांग की गई। वादीगण ने अपने वादपत्र में इसका आधार यह लिया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं स्व0 खंगार के हक हिस्से बंट की भूमि रही है, मोटा पुत्र राजा सैटलमेंट के दौरान् डूँगाजी के गोद जाने से उनको डूँगाजी की सम्पति में ग्राम बेडल में हक मिल चुके थे, इसके बावजुद सैटलमेंट के दौरान् वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखो में वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एवं 07 से 17 का नाम दर्ज कर दिया। तथा कालान्तर में फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर आगे से आगे इन्द्राज कर दिये, जबकि वादग्रस्त भूमि एक मात्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–06 के हिस्से बंट की भूमि होने से निम्नानुसार खातेदार घोषित किये जाने की दलील दी गई:– | |

| नाम खातेदार | वर्तमान मे दर्ज भूमि | | घोषणा खातेदारी की जानी है | | घोषणा के बाद कुल खातेदारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खसरा नंबर | रकबा | खसरा नंबर | रकबा | खसरा नंबर | रकबा |
| वादी सं. 2 पोमा के वारिश | 153<br>154<br>145 | 0.78<br>0.28<br>0.1256 | 145 | 0.4244 | | 0.55 |
| वादी सं.01 समाराम | 145 | 1.0322 | 145 | 0.5778 | 145 | 1.61 |
| प्रतिवादी सं.6 | 145 | 1.5629 | 145 | 0.0471 | 145 | 1.61 |

पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 प्रदर्श–01 में दर्ज इन्द्राज अनुसार ग्राम गुडा कल्याणसिंह के खसरा नंबर 94 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा में राजा पुत्र नगा का 1/4 हिस्सा दर्ज है, जिसके अनुसार राजा के बंट में 1.375 बीघा भूमि उक्त खसरे में आई। इसी प्रकार खसरा नंबर 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 88 कुल खसरा–14 कुल रकबा 106 बीघा 19 बिस्वा में राजा पुत्र नगा 1/6 हिस्सा दर्ज होने से इन खसरो की भूमि में राजा के बंट में 17.69 बीघा भूमि आई। इसी प्रकार गुडाकल्याणसिंह के गत् खसरा नंबर 95, 96, 99, 108, 107 कुल खसरा–5 कुल रकबा 71 बीघा 15 बिस्वा जमाबंदी संवत 2009 से 2028 प्रदर्श–02 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार राजा पुत्र नगा का 1/4 हिस्सा दर्ज है, जिसके अनुसार राजा के बंट में 17.78 बीघा इन खसरो में भूमि आई। वादपत्र के साथ प्रस्तुत वंश वंशावली के अनुसार नगा के चार पुत्र खंगारराम, पोमाराम, मोटाराम व समाराम हुये, तथा मोटाराम ग्राम बेडल में डूँगारामजी के गोद चले जाने से राजा के हिस्से बंट की भूमि के हकदार शेष तीन पुत्र यथा वादी संख्या 01, 02 तथा प्रतिवादी संख्या–06 हुये। वादपत्र में वर्णित तथ्यो के अनुसार सह खातेदार के मध्य हुये विभाजन के अनुसार राजा पुत्र नगा के हिस्सा बंट में हाल खसरा नंबर 153, 154 व खसरा नंबर 145 की भूमि रही है। तथा नगाजी के अन्य दो पुत्रो हकीया पुत्र नगाजी के बंट में खसरा नंबर 136, 146, 147, 148, 149 कुल रकबा 4.42 हैक्टर की भूमि एवं जोधा पुत्र नगा के बंट में खसरा नंबर 150, 152, 155, 156 रकबा 4.25 हैक्टर भूमि रही। इस प्रकार राजा पुत्र नगा के वारिश पोमा, समा, खंगार के बंट में (17.69 +17.78+1.375)= 36.845 बीघा भूमि आई। परन्तु सैटलमेंट के दौरान् वादीगण के पुर्वज राजा के बंट में रखी गई भूमि हाल खसरा नंबर 145 रकबा 3.77 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व 7 से 17 का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जिस तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बंदोवस्त संवत् 2037 से 2056 प्रदर्श–22 में दर्ज इन्द्राज से भी होती है। अर्थात् वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06 के हिस्से बंट व कब्जे की भूमि खसरा नंबर 145 रकबा 3.77 हैक्टर में अन्य सह खातेदार नगा के

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|

शेष दो पुत्रों यथा जोधा, हकीया पि. नगा का 2/6 हिस्सा एवं अन्य दीगर सह खातेदार माईग वल्द डुगा 1/4 हिस्सा, एवं लादा पुरा पि. दुर्गा 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा साथ 1/6 हिस्सा में राजा के वारिश के तौर पर वादीगण पोमीया, समीया व प्रतिवादी संख्या–06 खंगार के साथ–साथ मोटीया पुत्र राजा का नाम भी त्रुटिपुर्ण तौर पर दर्ज कर दिया गया, जबकि मोटीया ग्राम बेडल में डूगाजी के गोद जाने से किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रखता था। मोटीया के गोद जाने का यद्यपि कोई साक्ष्य पेश नही किया गया, परन्तु वादपत्र के साथ प्रस्तुत मिसल बंदोवस्त संवत् 2037 से 2056 की प्रति प्रदर्श–08 में दर्ज इन्द्राज के अवलोकन से यह ज्ञात है कि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 660, 662, 661 कुल खसरा–03 कुल रकबा 6.46 हैक्टर में मोटा वल्द राजा गोद डुगाजी मु. वरजु धर्मपत्नि मोटा खातेदार दर्ज है, जिससे वादीगण के वादपत्र में वर्णित गोद जाने के तथ्य की पुष्टि होती है। जिससे मोटीया का नाम भी गलत तौर से गुडाकल्याणसिंह के खसरा नंबर 145 की भूमि में गलत तौर से दर्ज हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बंदोवस्त की प्रति प्रदर्श–22 में दर्ज इन्द्राज के अनुसर नगा के पुत्र हकीया के वारिशान खंगार, भगा, नरींग,वजा पि.हकीया के नाम अलग से खसरा नंबर 136, 148, 149, 146, 147 कुल खसरा–05 कुल रकवा 4.42 हैक्टर की भूमि खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार विरमा के वारिशान के नाम खसरा नंबर 151, 157, 158 कुल खसरा–03 कुल रकबा 5.05 हैक्टर विरमा के वारिशान जीवा, वदा, नेका पि. विरमा के नाम प्रदर्श–23 के अनुसार दर्ज हैं। प्रदर्श–24 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार नगा के पुत्र जोधा के वारिशान बगदा, गोमा बाबु, वजा पि. जोधा के नाम खसरा नंबर 150, 152, 155, 156 कुल खसरा–04 कुल रकबा 4.25 हैक्टर बेरा गणेशजी वाला में दर्ज होने की पुष्टि भी होती हैं। प्रदर्श–24 में ही दर्ज इन्द्राज के अनुसार गुडाकल्याणसिंह के हाल खसरा नंबर 153, 154 कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.04 हैक्टर वादी संख्या–02 पोमा वल्द राजा के नाम इकलौती खातेदारी दर्ज होना भी प्रमाणित है। प्रदर्श–25 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार गुडाकल्याणसिंह के हाल खसरा नंबर 102, 128, 129, 130, 131, 132, 133 कुल खसरा–07 कुल रकबा 4.24 हैक्टर माईग के वारिश भीमा पुत्र माईग के नाम दर्ज होना ज्ञात हैं। प्रदर्श–27 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार गुडा कल्याणसिंह के हाल खसरा नंवर 124, 130, 125, 141, 147, 142, 143 कुल खसरा–07 कुल रकबा 8.30 हैक्टर में लादा पुरा पि. दरगा का नाम दर्ज होना भी प्रमाणित हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व 7 से 17 के नाम उनके हिस्से वंट में आई भूमियॉ उनके खातेदारी में दर्ज हो चुकी है एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–06 के हिस्से में वंट में आई भूमि खसरा नंबर 145 रकबा 3.77 हैक्टर में भी बतौर सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एवं 07 से 17 का नाम दर्ज है। इसके साथ ही राजा का पुत्र मोटा वेडल में डूगाजी के गोद जाने के बावजुद वादीगण व प्रतिवादी संख्या–06 के साथ सह खातेदार है। वादीगण के वाद में वर्णित तथ्यो की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखीया साक्ष्यो से होने के साथ साथ मौखिक साक्ष्य से भी होती है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 7/2, 7/3, 7/1, 7/6/1, 9/2, 11/1, 9/3 के द्वारा जवाबदावा में भी इस तथ्य को स्वीकार किया जा चुका है एवं शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब भी पेश नहीं हुआ है, जिससे भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त कर वादी के वाद में चाहे अनुतोष अनुसार वादग्रस्त भूमि गुडाकल्याणसिंह के हाल खसरा नंबर 145 रकवा 3.77 हैक्टर के अधिकार अभिलेखो में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एवं 07 से 17 का नाम विलोपित कर वादी के वादपत्र अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या–06 को खातेदार घोषित किया जाना न्याय संगत है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 145 रकबा 3.77 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एवं 07 से 17 का नाम विलोपित करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत वादी संख्या–01 समाराम पुत्र राजाराम को (1.0322+0.5778)=1.61 हैक्टर एवं वादी संख्या–02 पोमा पुत्र राजाजी के वारिशान को (0.1256+0.4244)=0.55 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–06 खंगारराम पुत्र राजाजी के वारिशान को (1.5629 +0.0471)=1.61 हैक्टर खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व 07 से 17 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे। इस हेतु इनके विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का लाटाडा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं मजि.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)**
**बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.**

**वादीगण :–**

1. समाराम पुत्र राजाजी
2. स्व. पोमाराम पुत्र राजाजी के का. मु. वारिसान
   2/1 घीसुलाल पुत्र पोमाराम
   2/2 देवी पुत्री पोमाराम
   2/3 लाली पुत्री पोमाराम
   2/4 सुकी पुत्री पोमाराम
   2/5 नाजु पत्नी पोमाराम
   तमाम आयु से व्यस्क, जातिगण सिरवी निवासीगण गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली जिला पाली

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :–**

1. दूदाराम पुत्र भीमाराम
2. केसी पुत्री भीमाराम
3. समाराम पुत्र भीमाराम
4. पकाराम पुत्र लादाराम
5. सोनाराम पुत्र पुराराम
6. स्व. खंगारराम पुत्र राजा के कायम मुकाम वारिसान
   6/1 खुमाराम पुत्र खंगार
   6/2 दौलाराम पुत्र खंगार
   6/3 सोनाराम पुत्र खंगार
   6/4 ककु पुत्री खंगार
   6/5 रबली पत्नि खंगार
7. स्व. रकमो पत्नि कलाराम के का.मु. वारिसान
   7/1 गणाराम पुत्र कलाराम
   7/2 हिराराम पुत्र कलाराम
   7/3 खुगाराम पुत्र कलाराम
   7/4 हिरी पुत्री कलाराम
   7/5 टिपु पुत्री कलाराम
   7/6 स्व वजाराम पुत्र कलाराम के का.मु. वारिसान
      7/6/1 घीसीदेवी पत्नि वजाराम
      7/6/2 विनोद पुत्र वजाराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता घीसीदेवी
      7/6/3 वर्षा पुत्री वजाराम जरिये संरक्षक माता घीसीदेवी
      7/6/4 दिव्या पुत्री वजाराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता घीसीदेवी
8. स्व. वजाराम पुत्र कलाराम के का. मु. वारिसान
   8/1 घीसीदेवी पत्नि वजाराम
   8/2 विनोद पुत्र वजाराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता घीसीदेवी
   8/3 वर्षा पुत्री वजाराम जरिये संरक्षक माता घीसीदेवी
   8/4 दिव्या पुत्री वजाराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता घीसीदेवी
9. स्व. जगलीबाई पुत्री माईगजी(पत्नी हेमाजी) के का.मु. वारिसान
   9/1 पेमाराम पुत्र स्वी. जगलीबाई
   9/2 देवाराम पुत्र स्वी. जगलीबाई
   9/3 चतराराम पुत्र स्वी. जगलीबाई
   9/4 सुकी पुत्री स्वी. जगलीबाई
10. स्व. मोतीदेवी पुत्री भीमाराम(पत्नी चतराराम) के का.मु. वारिसान
    10/1 कानाराम पुत्र मोतीदेवी
    10/2 लकाराम पुत्र मोतीदेवी
11. स्व. सोनीदेवी पुत्री हकीयाजी(पत्नि नेमाजी) के का.मु. वारिसान
    11/1 नाथाराम पुत्र सोनीदेवी
    11/2 दलाराम पुत्र सोनीदेवी
    11/3 गमीदेवी पुत्री सोनीदेवी
    तमाम आयु से व्यस्क , जातिगण सिरवी(जणवा) निवासीगण गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली
12. घीसुलाल पुत्र मोटाराम
13. कालुराम पुत्र मोटाराम
14. चेलाराम पुत्र मोटाराम
15. छोगी पुत्री मोटाराम
16. पुष्पा पुत्री मेटाराम

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

17. वरजु पत्नि मोटाराम
    तमाम आयु से व्यस्क जातिगण सिरवी हाल निवासीगण बेडल तहसील बाली जिला पाली(राज.)
18. राजस्थान सरकार भुमिधारी जरिये तहसीलदार बाली

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या** *Gcms No. 2025/498*

**वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वाद वादीगण स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम गुडा कल्याणसिंह तहसील बाली में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 145 रकबा 3.77 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एवं 07 से 17 का नाम विलोपित करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत वादी संख्या–01 समाराम पुत्र राजाराम को (1.0322 +0.5778)=1.61 हैक्टर एवं वादी संख्या–02 पोमा पुत्र राजाजी के वारिशान को (0.1256 +0.4244)=0.55 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–06 खंगारराम पुत्र राजाजी के वारिशान को (1.5629 +0.0471)=1.61 हैक्टर खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व 07 से 17 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे। इस हेतु इनके विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-05-26 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned with OKEN Scanner